



24/2/19 21/2/19
बिहार BIHAR

Serial No. 700

N 801183

Deed No. 696

सब रजिस्ट्रार, डिहरी

No-48/1993-94

फिरोजगढ़ जिला
सरकार
Govt. of Bihar

Sub Registry Office, Dehri On Sone
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 26/02/2019 by Jitendra Singh. A Stamp Duty of Rs. 728200/- and other Fees of Rs. 244450/- has been paid in it.

The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as Deed No. 696 in Book No. 1, Volume No. 12 on pages from 461 to 471 and has been preserved in total 11 pages in C.D. No. 3 / Year 2019.

Date: 26/02/2019

Token No: 712/2019

Registering Officer, Dehri On Sone

Signature with Date
Rogesh Tripathi


























पट्टा (लीज)

लेख्यकारीगण (पट्टाकर्तागण) का नाम:- श्री जितेन्द्र सिंह, उम्र 59 वर्ष, पिता स्व० रामजग सिंह, वो 2. श्री आनन्द सिंह उम्र 38 वर्ष वो 3. श्री रंजन कुमार सिंह उम्र 36 वर्ष वल्दान श्री जितेन्द्र सिंह जाति राजपुत, साकिनान-बस्तीपुर, पोस्ट- मानिकपुर, थाना- इन्द्रपुरी (डिहरी), जिला- रोहतास राज्य- बिहार, राष्ट्रीयता- भारतीय, पेशा- कृषि वो समाज सेवा, Adhar-1- 4161 3681 3682, 2- 7242 5360 8109, 3- 4577 1045 6062, Mob- 9911800967,

1. श्री जितेन्द्र सिंह उम्र 59 वर्ष
2. श्री आनन्द सिंह उम्र 38 वर्ष
3. श्री रंजन कुमार सिंह उम्र 36 वर्ष
4. श्री आनन्द सिंह उम्र 36 वर्ष
5. श्री रंजन कुमार सिंह उम्र 36 वर्ष
6. श्री आनन्द सिंह उम्र 36 वर्ष
7. श्री रंजन कुमार सिंह उम्र 36 वर्ष
8. श्री आनन्द सिंह उम्र 36 वर्ष
9. श्री रंजन कुमार सिंह उम्र 36 वर्ष
10. श्री आनन्द सिंह उम्र 36 वर्ष
11. श्री रंजन कुमार सिंह उम्र 36 वर्ष

Ranjan Kumar Singh
26/2/2019

Sub District Registry Office, Dehri On Sone

Token Number	Reg. Year	Serial Number	Deed Number 696				
712	2019	700					
Pres Type	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Lessee	Jitendra Singh (Chairman)						
Sig.	जीतेंद्र सिंह 26-2-19						
Lessor	Anand Singh						
Sig.	Anand Singh 26-2-19						
Presented By	Jitendra Singh						
Sig.	जीतेंद्र सिंह 26-2-19						
Lessor	Jitendra Singh	X Photo	X Thumb	X Index	X Middle	X Ring	X Little
Sig.	जीतेंद्र सिंह 26-2-19						
Lessor	Ranjan Kumar Singh						
Sig.	Ranjan Kumar Singh						
Identified By	Raj Narayn Singh						
Sig.	राजनारायण सिंह 26-2-19						



जीतेंद्र सिंह
26-2-19



बिहार BIHAR

N 801208

विश्वनाथ प्रसाद

मुद्राक विक्रेता, डिहरी

नं० नं०-48/1993-94

2

कोणमगर पट्टा रोहतास (सार. 1/11)

लेख्यधारी (पट्टाग्राहीता) का नाम :-
 रामजग सिंह मेमोरियल ट्रस्ट बस्तीपुर, पोस्ट
 मानीकपुर, थाना इन्द्रपुरी, जिला रोहतास बजरिये
 चेयरमैन श्री जितेन्द्र सिंह उम्र 59 वर्ष वल्द स्व०
 रामजग सिंह जाति राजपुत, निवासी ग्राम बस्तीपुर,
 पोस्ट मानीकपुर, थाना इन्द्रपुरी (डिहरी), जिला-
 रोहतास राज्य- बिहार, राष्ट्रीयता- भारतीय, पेशा-
 समाज सेवा, Adhar- 4161 3681 3628, Mob-7762015128,

लेख्य का प्रकार :- पट्टा (लीज)

अवधि 29 वर्ष के लिए ।

सम्पत्ति का मूल्य:- 8,08,00,000 / (आठ करोड़ आठ लाख) रु०।

किराया :- मो०-1,50,000 / - (एक लाख पचास हजार रुपये)
 रुपये प्रति वर्ष ।

सम्पत्ति का विवरण:- रकबा मवाजी 02 एकड़ 02 डी० (दो
 एकड़ दो डी०) वाके मौजा- बस्तीपुर, थाना डिहरी,
 थाना नं०- 175, हल्का नं०- 09, अंचल डिहरी
 जिला- रोहतास अवर निबंधन कार्यालय डिहरी, एराजी
 व्यवसायिक परती, उक्त एराजी कैसरेहिन्द, खाश
 महाल सर्व साधारण एवं गैरमजरुआ बिहार सरकार
 की भूमी नहीं है जो सिलिंग एरीया से बाहर है।

० सत्य जीतन्द्र सिंह

24/02/19

Anand kumar

26/02/19

(3) Anand Kumar Singh

26/02/2019

3.

खाता नं०	प्लॉट नं०	एकड़	डिसमील
132	645	01	01 डी०
(एक सौ बतीस)	(छः सौ पैतालिस)	(एक एकड़)	(एक डी०)

—: चौहद्दी :—

उत्तर :- रोड़ —
 दक्षिण :- मथुरा सिंह एवम् निज लेख्यकारीगण —
 पूरब :- रोड़ —
 पश्चिम :- खेसरा नं०— 646, लिजधारक —

खाता नं०	प्लॉट नं०	एकड़	डिसमील
64	646	01	01 डी०
(चौसठ)	(छः सौ छियालीस)	(एक एकड़)	(एक डीसमील)

—: चौहद्दी :—

उत्तर :- रोड़ —
 दक्षिण :- निज पट्टाकर्ता —
 पूरब :- खेसरा नं०— 645 लिजधारक —
 पश्चिम :- नीज पट्टाकर्ता —

सही जो त-३ रूद्र

24/02/19

Aravind Singh

24/02/19

26/02/2019

चूँ पट्टाकर्तागण रामजग सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक वो ट्रस्ट के सदस्यगण है। उक्त ट्रस्ट जिसका वसीका नं०— 124 बुक नं०— 04, जिल्द नं०— 03, पेज नं०— 59 से 73, टोकट नं०— 11775, दिनांक 08.09.2011 है। रामजग सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के चेयरमैन जितेन्द्र सिंह के साथ- साथ उक्त ट्रस्ट के सभी सदस्यगण के सहयोग से ग्राम बस्तीपुर, डिहरी में आर० एस० के० (रामजग सिंह किन्डरगार्टन) पब्लिक स्कूल का संचालन ट्रस्ट के नियमानुसार करते चले आ रहे है। ट्रस्ट के सभी सदस्यों की इच्छा है कि उक्त ट्रस्ट द्वारा संचालीत स्कूल (आर.एस.के. पब्लिक स्कूल) का अपना भवन वो खेल कुद का स्थान भी हो, जिससे की आर० एस० के० पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ- साथ खेल कूद एवं उनका मानसीक एवं शारिरिक विकाश में सहयोग हो। ट्रस्ट के सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से यह निर्णय लिया गया की क्यों न पट्टाकर्तागण के उक्त मौरुसी सम्पती को ही, जो पट्टाकर्तागण का मौरुषी सम्पति है जिसपर पट्टाकर्तागण का खास दखल वो कब्जा भी बरकरार है।

जो सम्पत्ति के खाना में वर्णित है तथा उक्त वर्णित सम्पत्ति का सरकारी लगान पट्टाकर्तागण के पूर्वज के नाम से अदाय किया जाता है जिसका जमाबंदी नं०- 133/01 वो 66/01 है, को 29 वर्ष के लिये लिज पर लेकर कर उक्त स्थल पर स्कूल का अपना भवन वो क्रिड़ा स्थल बनाया जाये जिससे की आर० एस० के० पब्लिक स्कूल के विद्यार्थीयों को और अधिक लाभ मिल सकें। अतएव ट्रस्ट के चेयरमैन जितेन्द्र सिंह अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा लिया गया निर्णय पर अमल करते हुए पट्टाकर्तागण के उक्त मौरूसी सम्पत्ती को आर० एस० के० पब्लिक स्कूल के विद्यार्थीयों के सर्वांगिण विकास हेतु निम्नशर्तों के साथ उक्त वर्णित सम्पत्ती को लिज पर लेने की सहमति बनी जो निम्नवत इस प्रकार है :-

—: शर्तें :—

1. यह कि उक्त पट्टा का अधिकतम अवधि 29 वर्ष की होगी।
2. यह की उक्त पट्टे की सम्पत्ति के एवज में रामजग सिंह मेमोरिसल ट्रस्ट के चेयरमैन प्रत्येक वर्ष 1,50,000/- एक लाख पचास हजार रुपये किराया पट्टाकर्तागण को अदाय किया करेंगे।
3. यह की उक्त किराया की राशी ट्रस्ट के खाता से या नगद या किसी भी मोड में देय होगा।
4. यह की उक्त सम्पत्ति पर आर० एस० के० पब्लिक स्कूल का अपना भवन का निर्माण व खेल कूद के मैदान का विकास होगा तथा उक्त निर्माण में आने वाली खर्च ट्रस्ट द्वारा वहन किया जायेगा।
5. यह कि समय अवधि समाप्ती पर उक्त स्थल यथावत स्थित में पट्टाकर्तागण को प्रदान करा दिया जायेगा तथा यथावत स्थिति प्रदान कराने में जो खर्च आयेगा उसकी भुगतान ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।

उ. सही जोर-रू. किरा. (3) Ramjan Kumar Singh
26/02/19 26/2/2019
अ. आनंद कुमार
26/02/19



कार्यालय, नगर परिषद डोहरी-डालमियानगर
डोहरी-ऑन-सोन

T-321
1/2/19

ज्ञापांक 27 / दिनांक 19/1/19

(प्रमाण पत्र जिनसे संबंधित है)

नगर परिषद के कर संग्रहक श्री प्रदीप कुमार के जाँच प्रतिवेदन एवं अंचल कार्यालय डोहरी द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि मौजा खलीपुर थाना नं० 125 खाता सं० 64, 132 खेसरा सं० 646, 645 रकबा 337 वर्ग मी. भूमि श्री राजबहादुर सिंह पिता श्री गुलाम सिंह के नाम पर दर्ज है जो नगर परिषद क्षेत्र से बाहर की भूमि है।

अतः उक्त आशय का प्रमाण पत्र श्री राजबहादुर सिंह ग्राम खलीपुर पो० खलीपुर जिला सैफाबाद के आवेदन के कम में निर्गत किया जाता है।

दिनांक-31/2/87

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद डोहरी-डालमियानगर
प्रदीप
19/1/19

6. यह की पट्टाकर्तागण के उत्तराधिकारीगण पर भी उक्त लिज प्रभावी माना जायेगा तथा पट्टाकर्तागण के मृत्यूपरान्त उनके उत्तराधिकारी उक्त लिज से प्राप्त किराये का उपयोग करेंगे एवम् उनके उत्तराधिकारीगण का उसी प्रकार का स्टेटस बरकरार रहेगा जैसा की इस लिज में पट्टाकर्तागण का है।

7. यह कि प्रत्येक चार वर्ष पर किराये में दस प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी एवम् प्रत्येक चार वर्ष पर वृद्धि सहित किराया भुगतान ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।

8. यह कि उक्त लिज की सम्पत्ति पर लीज धारक अपने स्कूल का सी० बी० एस० ई० मान्यता भी प्राप्त करेंगे इसमें पट्टाकर्तागण एवम् उनके उत्तराधिकारी को किसी प्रकार का आपत्ती नहीं होगा।

9. यह कि किसी भी परिस्थिति में या पट्टाकर्तागण एवं पट्टाग्राहिता के बिच किसी विधिक बिन्दू पर सुनवाई सक्षम न्यायालय के माध्यम से की जायेगी जैसा की एक्ट के उपबन्धों में निर्धारित है।

10. यह कि यदि ट्रस्ट के चेयरमैन द्वारा लगातार छः माह तक किराये कि भुगतान नहीं की जाती है तो उस स्थिति में पट्टाकर्तागण विधिक नोटीस से ट्रस्ट के संस्थापक को सूचना प्रदान करेंगे, यदि सूचना के प्राप्ति के एक माह तक किराये की भुगतान नहीं होती है, तो उस स्थिति में पट्टाकर्तागण अपने उक्त सम्पत्ति पर स्वयं या विधिक प्रक्रिया के तहत अपना दखल प्रदान कर लेवेगे।

11. यह कि यदि अवधि समाप्ती से पहले ट्रस्ट द्वारा स्कूल संचालक बंद कर दिया जाता है तो उस स्थिति में पट्टाकर्तागण एवं पट्टाग्राहिता के आपसी सहमती से उक्त पट्टा को बिच में ही समाप्त किया जा सकता है।

(3) Ram Jan Kumar Singh
26/02/2019

(4) अमल हरि
26/02/19
(5) अमल हरि
26/02/17

12. यह कि उक्त पट्टा का किराया रजिस्ट्रेशन के दिनांक से एक माह के बाद शुरू माना जायेगा तथा वह दिनांक व तिथि माह का प्रथम दिन होगा।

13. 29 वर्षों का किराया निम्नवत इस प्रकार है :-

- (क) प्रथम चार वर्षों का किराया गो0- 6,00,000/- रुपये
 (ख) द्वितीय चार वर्षों का किराया गो0- 6,60,000/- रुपये
 (ग) त्रितिय चार वर्षों का किराया गो0- 7,26,000/- रुपये
 (घ) चतुर्थ चार वर्षों का किराया गो0- 7,98,600/- रुपये
 (ङ) पंचम चार वर्षों का किराया गो0- 8,78,460/- रुपये
 (च) छठम् चार वर्षों का किराया गो0- 9,66,306/- रुपये
 (छ) सप्तम् चार वर्षों का किराया गो0-10,62,936.60/- रुपये
 (ज) अंशित उनतीसवाँ वर्ष का किराया गो0-11,69,330.26/रु0
 कुल किराया गो0- 68,61,532.86/- रुपये मात्र।

(1) गवाह नं0-

राजनाथसिंह
 पिता- हनुमान् सिंह
 श/क- वस्तीपुर, थाना
 इन्दौर, जिला-रोहतास
 26/2/2019

हस्ताक्षर लेख्यकारीगण

सही जी ते-उ सिंह
 26/02/19

Amam Singh
 26/02/19

(3) Ramam Kumar Singh
 26/2/2019 हस्ताक्षर लेख्यधारी

(2) गवाह नं0-

मजूमदार कुमार सिंह

कर्मदेव सिंह

वस्तीपुर

इन्दौर रोहतास

26.2.19

सही जी ते-उ सिंह

वैदेशीयत चेष्टा मेने
 रामनाथ सिंह मेमोरिचल दूधर
 वस्तीपुर 26.2.19

प्रारूप तैयार किया

किशोर कुमार (मजूमदार)

क/क/क-824/01

दिनांक- 26/02/2019

तरीख तहरीर :-

26/02/2019



Scanned By.

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I-A, No. '35'. '||' Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs. 728200/-
Addl. Stamp duty paid under Municipal Act Rs. 0/-

Amt. Paid By N.J Stamp Paper Rs. 1000/-
Amt. paid through Bank Challan Rs. 971400/-

Registration Fee										LLR + Proc Fee		Service Charge	
FEE PAID	A1	242400	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0	LLR	500	500
	A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0	Proc.Fee	50	
	A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0	Total	550	
	A10	0	E	1000	J1	0	K2	0	Na	0			
	B	0	H1a	0	J2	0	Li	0					
	TOTAL-										243400		
Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. -										244450			

Date: 26/02/2019

Registering Officer
Dehri On Sone

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Dehri On Sone on Tuesday, 26th February 2019 by Jitendra Singh Late Ramjag Singh by profession Agriculture. Status - Lessor

26.2.19

Signature/L.T.I. of Presentant

Date: 26/02/2019

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Raj Narayn Singh' age '40' Sex 'M', 'Dudhnath Singh', resident of 'Vill-Bastpur ps-Indrapuri(Dehri),dist-Rohtas'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 26/02/2019

Registering Officer
Dehri On Sone

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Dehri On Sone in Book 1 Volume No. 12 on pages on 461 -471, for the year 2019 and stored in CD volume No. CD-3 year 2019 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Date : 26/02/2019

Registering Officer
Dehri On Sone

Token No. : 712 Year : 2019 S.No. : 700 SCORE Ver.4.1

Deed No. and No. : 696